भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 331

04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: भूमिहीन किसानों का कल्याण

331. श्री कौशलेन्द्र कुमारः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या करोड़ों भूमिहीन किसान भू-स्वामियों के साथ फसल हिस्सेदारी के आधार पर खेती करके अपनी आजीविका चलाते हैं और सही अर्थों में केवल वही वास्तविक किसान और अन्नदाता हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे किसान खेती का सारा खर्च वहन कर मेहनत करते हैं और प्राकृतिक आपदा की स्थिति में उन्हें न तो राजसहायता मिलती है और न ही वे किसान सम्मान पेंशन के हकदार होते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे करोड़ों भूमिहीन किसानों का सर्वेक्षण कराने और उन्हें किसान के रूप में पंजीकृत करने का है ताकि फसल हिस्सेदारी वाले किसानों को भी उनका समान अधिकार मिल सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ड.): इस मंत्रालय के द्वारा भूमिहीन किसानों की कोई विशिष्ट जनगणना/सर्वेक्षण नहीं किया गया है। इसलिए, देश में भूमिहीन किसानों और भूमि-स्वामियों के साथ फसल बंटवारे के आधार पर खेती करने वालों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, नवीनतम कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार देश में पूरी तरह से पट्टे पर संचालित जोत/भूमिहीन किसानों की संख्या 5,31,285 है।

कृषि राज्य का विषय है, इसलिए राज्य सरकारें किसानों सहित भूमिहीन किसानों के कल्याण के लिए कृषि योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करती हैं और भारत सरकार भी विभिन्न केंद्रीय क्षेत्र/केंद्र प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से इन प्रयासों को पूरा करती है। इनमें से, जो योजनाएँ विशेष रूप से भूमिहीन, किरायेदार किसानों और बटाईदारों को कवर करती हैं, वे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना हैं ।

किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के तहत, किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण मिलता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को संशोधित ब्याज सब्वेंशन योजना (एमआईएसएस) के तहत 1.5% की अग्रिम ब्याज सब्वेंशन (आईएस) प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, जो किसान अपने ऋणों को समय पर चुकाते हैं, उन्हें 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) मिलता है, जिससे ब्याज दर प्रभावी रूप से 4% प्रति वर्ष हो जाती है। आईएस और पीआरआई का लाभ 3 लाख रुपये तक की ऋण सीमा के लिए उपलब्ध है। हालाँकि, यदि अल्पकालिक ऋण, संबद्ध गतिविधियों (फसल पालन के अलावा) के लिए लिया जाता है, तो ऋण राशि केवल 2 लाख रुपये तक सीमित होती है।

आरबीआई के दिनांक 04 जुलाई, 2018 के मास्टर परिपत्र के अनुसार, केसीसी योजना के अंतर्गत, मौखिक पट्टेदार और बटाईदार, स्वयं सहायता समूह या किरायेदार किसानों, बटाईदारों सहित किसानों के संयुक्त देयता समूह अल्पावधि ऋण के लिए पात्र हैं।

इसके अलावा, प्राकृतिक आपदाओं के होने पर किसानों को राहत प्रदान करने के लिए, पुनर्गठित राशि पर ब्याज सब्वेंशन का घटक पहले वर्ष के लिए बैंकों को उपलब्ध है तथा ऐसे पुनर्गठित ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार दूसरे वर्ष से सामान्य ब्याज दर लागू होगी।

एनडीआरएफ सहायता के अनुदान के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम (आईएमसीटी) और राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एससी-एनईसी) की उप-समिति की रिपोर्ट के आधार पर गंभीर प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को अधिकतम 5 वर्षों की अवधि के लिए पुनर्गठित फसल ऋण पर आईएस और पीआरआई भी दी जाती है।

*****